बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
बिहार कौशल विकास मिशन

आदेश

राज्य सरकार के 7 निश्चयों में एक"आर्थिक हल युवाओं को बल"के अधिन संचालित एजेंसी M/S Zephyr Ltd. के साथ संबद्ध कुशल युवा कार्यक्रम के कतिपय प्रखंडस्तरीय कौशल प्रशिक्षण केन्दों को Franchisee Mode में संचालित किये जाने हेतु M/S Youth Arena Pvt. Ltd. ,Chandrika Ray Market,First floor, New vigrahpur, Mithapur,Patna 800001 को बिहार कौशल विकास मिशन के ज्ञापांक BSDM/RFP-40/2014-764 दिनांक 25.9.2017 के द्वारा अगले पांच वर्षो तक राज्य में संचालित किसी भी प्रकार के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम से प्रतिबंधित किया गया था, साथ ही उन्हें अगले पांच वर्षो तक बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा प्रकाशित किसी भी प्रकार के RFP/ निविदा ने भाग लेने से भी प्रतिबंधित किया गया था।

M/S Youth Arena Pvt. Ltd. , के द्वारा बिहार कौशल विकास मिशन के इस आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC NO 15892 /2018 दायर किया गया।विषयांकित वाद में सुनवाई के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा बिहार कौशल विकास मिशन के आदेश ज्ञापांक- BSDM/RFP-40/2014-764 दिनांक 25.9. 2017 को Quash (निरस्त)कर दिया गया है।

बिहार कौशल विकास मिशन के आदेश ज्ञापांक- BSDM/RFP-40/2014-764 दिनांक 25.9.2017 को निर्गत किये जाने के समय M/S Youth Arena Pvt. Ltd. का कुशल युवा कार्यक्रम हेतु दो केन्द्र क्रमशः रामगढ़(कैमूर)Kyp Code 06030010 तथा नोखा(रोहतास) Kyp Code 06060019 संचालित था। इसी प्रकार Domain Skilling के लिए एजेंसी M/S Youth Arena Pvt. Ltd. को तीन केन्द्र दुर्गावती(कैमूर)DS code 06030023, कुदरा(कैमूर)DS code 06030035 तथा सासाराम(रोहतास)DS code 06060053 आवंटित थे।आदेश ज्ञापांक- BSDM/RFP-40/2014-764 दिनांक 25.9.2017 को निर्गत होने के पश्चात कुशल युवा कार्यक्रम के इनके दो केन्द्र रामगढ़(कैमूर)Kyp Code 06030010 तथा नोखा(रोहतास) Kyp Code 06060019 पर प्रशिक्षणार्थियों के नामांकन को अवरुद्ध कर दिया गया ।Domain Skilling से संबंधित केन्द्रों के लिए संबंधित विभागों यथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग तथा सूचना प्रवैधिकी विभाग को बिहार कौशल विकास मिशन के पत्र संख्या-19 दिनांक 5.1. 2018 के द्वारा M/S Youth Arena Pvt. Ltd. , को 5 वर्षो के लिए प्रतिबंधित किये जाने की सूचना भेजी गई तथा इन विभागों से अनुरोध किया गया कि जबतक यह आदेश प्रभावी रहता है तबतक इन्हें कोई कार्य आवंटित नहीं किया जाये ।

CWJC NO 15892 /2018 में माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा बिहार कौशल विकास मिशन के आदेश ज्ञापांक- BSDM/RFP-40/2014-764 दिनांक 25.9.2017 को Quash(निरस्त) कर दिया गया है। अतः माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा विषयांकित वाद में पारित न्यायादेश के आलोक में M/S Youth Arena Pvt. Ltd. , के कुशल युवा कार्यक्रम के प्रशिक्षण केन्द्रों रामगढ़(कैमूर)Kyp Code 06030010 तथा नोखा(रोहतास) Kyp Code 06060019 तथा Domain Skilling के लिए दुर्गावती(कैमूर)DS code 06030023, कुदरा(कैमूर)DS code 06030035 तथा सासाराम(रोहतास)DS code 06060053 पर लगाये गये प्रतिबंध को समाप्त करते हुए इन केन्द्रों को पुनर्जिवित करने की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि वे बिहार कौशल विकास मिशन के Portal पर इन केन्द्रो के पंजीयन का नवीकरण करेगे साथ ही बिहार कौशल विकास मिशन को एक सप्ताह के अन्दर इस आशय का एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि इन सभी केन्द्रों का संचालन सीधे तौर पर उनकी संस्था के द्वारा किया जायेगा तथा इन केन्द्रों को

संचालन हेतु किसी अन्य संस्था या संगठन को Franchisee Mode में नहीं सौंपा जायेगा तथा इन केन्द्रों की पुनर्स्थापना उनके द्वारा बिहार कौशल विकास मिशन के निर्धारित मानको के अनुरूप की जायेगी।

ह/0
(दीपक कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव
सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन।

ज्ञापांक BSDM/SDM-74/2018 - 512 पटना, दिनांक-- 08/5/2019

प्रतिलिपि–:श्री संजीव कुमार पाठक,प्रबंध निदेशक,M/S Youth Arena Pvt. Ltd. को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2.सभी अपर मुख्य सचिव/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी,बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3.Project Director ,MKCL/Project Director SPMU(E&Y)/Ratandeep Singh Manager SPMU(E&Y) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रषित।

4.प्रशासी पदाधिकारी/मिशन निदेशक/मिशन प्रबंधक कार्यक्रम(क्रियान्यवन)/मिशन प्रबंधक (समन्वय)/मिशन प्रबंधक(वित्त एवं लेखा)को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रषित।

8/5/19

प्रधान सचिव–सह–मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
बिहार कौशल विकास मिशन।